



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ
CIN : U32201UP1999SGC024928

सं०-I/51804/2026-Comp No:-12218 /E-7/PO/HP दि०:13-05-2026

Notice No-12/May 2026/Lucknow

अधिकासी अभियंता जानपद, विद्युत जानपद निर्माण खंड-प्रथम, अलीगंज, लखनऊ के पत्रांक 828/ईसीसीडी-1/ए-7 अधिकारी/कर्मचारी दि० 12.05.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार लखनऊ स्थित कालोनियों में विभिन्न श्रेणी के निम्नवत आवास रिक्त हैं।

कार्मिक द्वारा उन्हीं आवासों के विकल्प दिये जाने चाहिए जिनमें जाने हेतु वह वास्तव में इच्छुक हों एवं जिस आवास श्रेणी हेतु वह अर्ह हो।

Details of Vacant Houses

Type V Houses			
S.NO	Name of colony	House Number	Floor
1	Indralok Hydrel Colony	05/03	Second Floor

Type IV Houses			
S.NO	Name of colony	House Number	Floor
1	Chandralok Hydrel Colony	04/45	Second Floor
2	Chandralok Hydrel Colony	04/53	First Floor
3	Vivekanand puri Hydrel Colony	04/20	First Floor
4	Indralok Hydrel Colony	04/05	First Floor


Type II Houses			
S.NO	Name of colony	House Number	Floor
1	Prag Narain Road Hydrel Colony	02/72	Second Floor
2	Motijheel Hydrel Colony	LM-77	First Floor
3	Indralok Hydrel colony	02/28	Ground Floor
4	Indralok Hydrel colony	02/41	First Floor
5	Indralok Hydrel colony	02/76	First Floor
6	Indralok Hydrel colony	02/115	Ground Floor

Type I Houses			
S.NO	Name of colony	House Number	Floor
1	Indralok Hydrel colony	01/103	Ground Floor
2	Prag Narain Road Hydrel Colony	01/24	Second Floor

Car Garages		
S.NO	Name of colony	Car Garage Number
1	Chandralok Hydrel Officer Colony	07
2	Chandralok Hydrel Officer Colony	08
3	Chandralok Hydrel Officer Colony	09
4	Chandralok Hydrel Officer Colony	21
5	Chandralok Hydrel Officer Colony	22
6	Chandralok Hydrel Officer Colony	23
7	Chandralok Hydrel Officer Colony	24

- उपरोक्त रिक्त आवासों के सापेक्ष इच्छुक कार्मिक आवंटन नीति में संलग्न प्रारूप-2 में अपने विकल्प दे सकते हैं। कार्मिक नोटिस में प्रकाशित एक या अधिक आवासों में दे सकते हैं। कार्मिक विकल्प को प्रारूप-02 में भरकर स्कैन करके नवीन ईमेल आईडी0 houseallotment.lucknow@uppcl.org पर प्रेषित कर सकते हैं अथवा मुख्य अभियन्ता (हा0) के कैम्प कार्यालय (तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ) में प्राप्त करा सकते हैं।
- आवंटन के पश्चात आवंटी को आवंटन आदेश की तिथि से 01 माह में कब्जा लेना होगा। निर्धारित 01 माह की अवधि में कब्जा न लेने की स्थिति में आवंटन स्वतः निरस्त हो जायेगा तथा आवंटी आदेश की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिये आवास आवंटन से वारित रहेगा।
- आवास का आवंटन कार्मिक की वरिष्ठता सूची में क्रम के आधार पर किया जायेगा। यदि किसी कार्मिक ने वरिष्ठता सम्बन्धी प्रारूप-1 नहीं दिया है तो वह प्रारूप-2 के साथ दे सकता है।
- विकल्प पत्र (प्रारूप-2) देने की **अंतिम तिथि 21-05-2026** है। इस नोटिस के सापेक्ष जो विकल्प अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होंगे उन पर विचार नहीं किया जायेगा। आधे-अधूरे एवं अस्पष्ट विकल्प पत्रों पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा।

5. आवास आवंटन नीति-2024 में दिये गये सभी प्राविधान इस प्रक्रिया पर लागू होंगे।


13.05.26
(सूरज पाल)

कार्मिक अधिकारी

संयोजक-आवास आवंटन समिति

कार्यालय मुख्य अभियंता (हाइड्रिल)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी अभियन्ता(वेब), 30प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को कारपोरेशन की वेबसाईट के "Employee Corner/ कर्मचारी कॉर्नर" के "Departmental House Allotment/ विभागीय आवास आवंटन" के अन्तर्गत अपलोड करने का कष्ट करें।
2. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद निर्माण खण्ड प्रथम, पुरनिया को इस आशय से प्रेषित है कि यह नोटिस आपके पत्रांक 828/ईसीसीडी-1/ए-7 अधिकारी/कर्मचारी दि0 12.05.2026 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर जारी की जा रही है। उक्त नोटिस में यदि कोई त्रुटि हो तो तत्काल इस कार्यालय को ईमेल आई0डी0 houseallotment.lucknow@uppccl.org पर सूचित करने का कष्ट करें।